न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 658 / 2023
अनवान : –

1. किशोरीलाल सैनी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति सैनी साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति सैनी साकिन नोहर तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति सैनी साकिन नोहर तहसील नोहर।
4. जगदीश प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति सैनी साकिन नोहर तहसील नोहर।
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति सैनी साकिन नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. बिमला पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी छाजुराम जाति सैनी साकिन ढाणी रायपुर तहसील व जिला हिसार हरियाण।
2. बिमला पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी राधाकृष्ण जाति सैनी साकिन सिसवाल ढाणी तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: -18/03/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069–72 के खाता स0 150 / 123 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि शान्ति पत्नी लक्ष्मीनारायण को आवंटन हुई थी लक्ष्मीनारायण को लक्ष्मीनारायण व लिछमण दोनो नामों से पुकारा जाता था इसलिए सहवन से जमाबंदी में शान्ति पत्नी लिछमण दर्ज हो गया जबकि सही नाम शान्ति पत्नी लक्ष्मीनारायण है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शान्ति पत्नी लिछमण के नाम दर्ज है। शान्ति पत्नी लिछमण का देहान्त हो चुका है शान्ति पत्नी लिछमण के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण काबिज है जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने बाबत कहा तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाव पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2079–72 रोही मौजा 25 एनटीआर खाता संख्या 150/123, मृत्यु प्रमाण पत्र शान्ति, चित्रप्रति वारिसान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादीगण की माता शान्ति पत्नी लिछमण के नाम दर्ज है शान्ति पत्नी लिछमण का देहान्त हो चुका है शान्ति पत्नी लिछमण के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण काबिज है जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069–72 के खाता स0 150/123 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि शान्ति पत्नी लिछमण के नाम दर्ज है। उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर [illegible] वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वर्तमान राजस्व रिकार्ड [illegible] पत्नी लिछमण के नाम दर्ज है। शान्ति पत्नी लिछमण का देहान्त हो चुका है शान्ति पत्नी लिछमण के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण काबिज है जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 150/123 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में मृतक शान्ति पत्नी लिछमण का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:55 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 658/2023

अनवान : –

1. किशोरीलाल सैनी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति सैनी साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति सैनी साकिन नोहर तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति सैनी साकिन नोहर तहसील नोहर।
4. जगदीश प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति सैनी साकिन नोहर तहसील नोहर।
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति सैनी साकिन नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. बिमला पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी छाजुराम जाति सैनी साकिन ढाणी रायपुर तहसील व जिला हिसार हरियाण।
2. बिमला पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी राधाकृष्ण जाति सैनी साकिन सिसवाल ढाणी तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 658 सन 2023 निर्णय दिनांक – 18/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हवासिंह पुनिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 150/123 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में मृतक शान्ति पत्नी लिछमण का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:55 IST
Reason: SelfAttested